विजय कुमार
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्याः–25/2023
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ–226010
दिनांकः अगस्त 04, 2023

विषय– गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा साइबर अपराधों के नियंत्रण हेतु दिये गये दिशा–निर्देशों का जनपद स्तर पर सम्यक अनुपालन, रख–रखाव एवं समीक्षा के सम्बंध में जनपदीय नोडल अधिकारी (पदेन) व उनके सहयोगार्थ साइबर भिज्ञ राजपत्रित अधिकारी नामित किये जाने के सम्बंध में।

प्रिय महोदय,

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्याः–22003/33/2019–I4C दिनांक 23.10.2020 एवं पत्र संख्याः–22003/14/2020–I4C दिनांक 11.01.2023 के संदर्भ में अवगत कराना है कि साइबर अपराधों की संख्या में निरन्तर हो रही वृद्धि पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा साइबर अपराधों के पर्यवेक्षण एवं अन्वेषण के लिये समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं, जिनके अनुपालन हेतु जनपद स्तर से कार्यवाही अपेक्षित होती है। साइबर क्राइम मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ राज्य के साइबर अपराधों की नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। इस सम्बंध में साइबर क्राइम मुख्यालय, उ0प्र0 द्वारा गोष्ठी व दिशा–निर्देश जारी किये जाते है। उक्त गोष्ठियों में प्रतिभाग करने हेतु जनपदीय राजपत्रित अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है, परन्तु कतिपय जनपद द्वारा साइबर अपराध से अनभिज्ञ निरीक्षक/उ0नि0 स्तर के अधिकारियों को गोष्ठी में प्रतिभाग हेतु नामित किया जाता है, जिनको साइबर तकनीकी की अपेक्षित जानकारी न होने के कारण जनपद स्तर पर निर्देशों का सम्यक क्रियान्वयन व उचित अनुश्रवण नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त सम्बंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा साइबर अपराधों के नियंत्रण हेतु दिये गये दिशा–निर्देशों के सम्यक अनुपालन व पत्रों का जनपद स्तर पर रख–रखाव एवं प्रगति की समीक्षा के सम्बंध में प्रदेश के समस्त पुलिस कमिश्नरेट व जनपद प्रभारियों द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के राजपत्रित अधिकारी को ही जनपदीय नोडल अधिकारी (पदेन) नामित किया जायेगा व उनके सहयोगार्थ साइबर भिज्ञ राजपत्रित अधिकारी एवं 02 निरीक्षक/उ0नि0 स्तर के अधिकारी (जो कि जनपदीय साइबर सेल से भी हो सकते हैं) को नियुक्त किया जाएगा।

जनपदीय नोडल अधिकारी के मुख्य कार्य निम्नवत् होंगेः–

- एन0सी0आर0पी0 पोर्टल का जनपद स्तर पर संचालन व पर्यवेक्षण।
- CSAM (Child Sexual Abuse Material) का पर्यवेक्षण।
- NCMEC (National Center For Missing & Exploited Children) टिपलाइन का पर्यवेक्षण।
- साइबर वालेन्टियर के सहयोग की समीक्षा।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का क्रियान्वयन व अनुश्रवण।
- साइबर क्राइम मुख्यालय, उ0प्र0 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन व पत्राचार।

मुझे विश्वास है कि सभी जनपदीय नोडल अधिकारी पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे, ताकि साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

भवदीय

(विजय कुमार)

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन्स, उ0प्र0 (नाम से)

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।